कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा छत्तीसगढ़

क्र0/463/ भू.अ./स.अ.भू.अ./14 कोरबा दिनांक 28/2/2014

प्रति

उपाध्यक्ष
(विस्तार परियोजना)
भारत एल्युमिनियम कंम्पनी लिमिटेड
कोरबा

विषय :-राजस्व अनुभाग कोरबा के तहसील कोरबा ग्राम रिस्दी खसरा नं0 100,132,207/1 तथा ग्राम कुकरी चोली खसरा नं0 217/1 अ के अन्तर्गत आनेवाली राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्

संदर्भ :-आपकापत्र क्र0/BALCO/1200/Transmission/09-2013/09Date-16-09-2013

----000----

विषयान्तर्गत 1200 मेगावाट पावर प्लांट से पावर ग्रिड के 400/ 765 के.व्ही धरमजयगढ़ (कोरबा) पुलिंग स्टेशन तक 400 के.व्ही पारेषण लाईन के निर्माण बाबत् 1.535 हे0 राजस्व वन भूमि के संबंध में प्रमाण पत्र बाबत् निवेदन किया गया है ।

क्र0	ग्राम का नाम	खसरा नं0	रकबा हे0 में	प्रस्तावित रकबा हे0 में	अन्य विवरण
1	रिस्दी	100	0.101	0.051	बड़े झाड़ का जंगल
2		132	8.176	0.197	बड़े झाड़ का जंगल
3		207/1	65.590	0.627	बड़े झाड़ का जंगल
4	कुकरी चोली	217/1क	11.939	0.660	बड़े झाड़ का जंगल
			85.806	**1.535**	

अनुविभागीय अधिकारी रा0 कोरबा एवं संयुक्त से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार निम्नलिखित ब्यक्तियों को वन अधिकार पत्र वितरण करने एवं टावर लाईन में प्रभावित नही होना प्रतिवेदित है ।

क्र0	ग्राम का नाम	वन अधिकार पत्र प्राप्त ब्यक्तिों का नाम	खसरा नं0	रकबा हे0 में
1	कुकरी चोली	रामेश्वर सिंह आ0 फूलसिंह	217/1क	0.405
2		रामप्रसाद आ0 सुखराम		0.101
3		उमठावन आ0 दाउराम		0.162
4		अस्काबाई पति मंगल सिंह		0.405
5		जेठूराम आ0 रामप्रसाद		0.243
6		मोतीराम आ0 हीराराम		0.607
7		पितराम आ0हीराराम		0.607

8		भागवत सिंह आ0 अवधराम		0.243
9		धतुरसिंहआ0ईशराम		0.607
10		हरीयर आ0 विश्राम		0.162
11		बबलू आ दुबराज		0.162
		योग –11		**3.704**

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत रकबा **1.535 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि को** गैर वानिकी उपयोग करने की अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है तो निम्न शर्तो के तहत इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही होगी ।

(1) यह अनापत्ति मात्र उल्लेखित राजस्व वन भूमि पर 1200 मेगावाट पावर प्लांट से पावर ग्रिड के 400/ 765 के.व्ही धरमजयगढ़ (कोरबा) पुलिंग स्टेशन तक 400 के.व्ही डबल परिपथ पारेषण लाईन के निर्माण के लिये दी जा रही है । इसके अतिरिक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जा सकेगा ।

(2) संचरण पथ के निर्माण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावित होने पर संबंधित विभाग से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा ।

(3) उक्त संचरण पथ के निर्माण से यदि किसी प्रकार की क्षति होती है तो इसकी संम्पूर्ण जवाब–दारी आवेदक संस्थान की होगी ।

(4) इस अनुमती के द्वारा भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण नही किया जा रहा है ।

(5) पारेषण लाईन निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षों को काटे जाने की अनुमती सक्षम न्यायालय से लिया जाना होगा ।

(रजत कुमार)
कलेक्टर
कोरबा (छ0ग0)

पृ0क्र0/ /भू.अ./स.अ.भू.अ./14 कोरबा दिनांक

प्रतिलिपि :– 1 वन मंडलाधिकारी कोरबा की ओर सूचनार्थ ।
2 अनुविभागीय अधिकारी रा0 कोरबा की ओर सूचनार्थ ।
3 तहसीलदार कोरबा की ओर सूचनार्थ ।

(रजत कुमार)
कलेक्टर
कोरबा (छ0ग0)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा छत्तीसगढ़

क./ 32 /भू.अ./स.अ.भू.अ./2014 कोरबा दिनांक 6/1/2015

प्रति,

परियोजना प्रमुख
भारत एल्युमिनियम कंम्पनी लिमिटेड
कोरबा

विषय :— कोरबा में ग्राम कोहड़ीया ,रिस्दी,रिस्दा के खसरा नं. 491/1, 582/1, 207/1, तथा 907 में राजस्व वन भूमि पर जारी किये गये वन अधिकार (एफ.आर.ए.) प्रमाण पत्रों की जानकारी एवं राजस्व वन भूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु अनापत्ति (noc) प्रमाण पत्र बाबत्

संदर्भः— आपका पत्र क0/ 4.7.2014

विषयान्तर्गत कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । आपके द्वारा ग्राम कोहड़िया ,रिस्दी,रिस्दा के खसरा नं. 491/1, 582/1, 207/1, तथा 907 कुल रकबा 14.209 हे0 भूमि पर 1200 मेगावाट पावर प्लांट से पावर ग्रीड के 765 /400 के.व्ही धरमजयगढ़ (पी.जी.सी.आई.एल.) पुलींग स्टेशन तक 400 के.व्ही पारेषण लाईन का निर्माण हेतु राजस्व वन भूमि पर ब्यपवर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत् निवेदन किया गया है ।

वन मंडलाधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) से प्रतिवेदन प्राप्त । प्रतिवेदन अनुसार पारेषण लाइन निम्नलिखित ग्रामों से गुजरेगी ।

क0	ग्राम का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	आवेदित रकबा	अन्य विवरण
1.	कोंहड़िया	491/1	35.458	3.882	बड़े झाड़ का जंगल
2	—"—	582/1	18.654	3.091	बड़े झाड़ का जंगल
3	रिस्दा	907	56.943	5.349	बड़े झाड़ का जंगल
4	रिस्दी	207/1	65.590	1.886	बड़े झाड़ का जंगल
		कुलरकबा	176.645	14.209	

उक्त राजस्व वन भूमि पर वन अधिकार पत्र वितरण नही किया गया है न ही वितरण हेतु शेष है ।

अतः प्रतिवेदन अनुसार राजस्व वन भूमि(बड़े झाड़ का जंगल) पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।

1 यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र उपरोक्त उल्लेखित राजस्व वन भूमि पर (बड़े झाड़ का जंगल कुल रकबा 14.209 हे0) 400 के.व्ही.बालको से धरमजयगढ़ (पी.जी.सी.आई.एल.) पुलींग स्टेशन तक लाईन के निर्माण हेतु दी जा रही है । इसके अतिरिक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जा सकेगा ।

2 विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावित होने पर संबंधित विभाग से अनुमति लियाजाना अनिवार्य होगा ।

3 उक्त पारेषण लाईन के निर्माण से किसी प्रकार की क्षति होती है तो इसकी संम्पूर्ण जवाबदार आवेदक संस्थान की होगी ।

4 इस अनुमती के द्वारा विभाग के स्वामित्व का हस्तांतरण नही किया जा रहा है ।

5 विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षों को काटे जाने की अनुमति सक्षम न्यायालय / विभाग से लिया जाना होगा ।

6/1/15

(रीना बाबा साहेब कंगाले)
कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)

पृ0क. /33 /भू.अ. /स.अ.भू.अ. /2014 कोरबा दिनांक 06/1/2015

प्रतिलिपि :— 1 वन मंडलाधिकारी कोरबा की ओर पत्र क्र.5838 दिनांक 5.9.14 के संबंध में सूचनार्थ ।

2 अनुविभागीय अधिकारी रा0 कोरबा की ओर सूचनार्थ ।

3 तहसीलदार कोरबा की ओर सूचनार्थ ।

Rina 6/1/15

(रीना बाबा साहेब कंगाले)

कलेक्टर

कोरबा (छत्तीसगढ़)